न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

प्रार्थना पत्र रैस्टोरेशन संख्याः— 14/18 (RCMS No.2018/00136) (आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 सीपीसी एवं धारा 65 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

बाबू लाल दत्तक पुत्र मूलीराम जाति जाट निवासी मानौता खुर्द तहसील नगर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

मु0 पांची पुत्री मूली पत्नि करन सिंह जाति जाट निवासी तिगरिया तहसीसल लक्षमनगढ़ जिला अलवर

..... रैस्पो0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियिम 19 एवं धारा 151 सीपीसी एवं धारा 65 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील प्रार्थी
2. श्री गोविन्द सिंह डागुर वकील अप्रार्थीया

निर्णय दिनांकः—05.11.2018

यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 15.03.18 के विरूद्ध पेश किया गया है। तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय हाजा में अपील सख्या 320/05 धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत विचाराधीन थी। जिसमें बहस के लिये तारीखें नियत की जा रही थी। दिनांक 15.03.18 को अपीलान्ट के अभिभाषक या अपीलान्ट के उपस्थित नही होने से अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गयी थी। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अपील को पुनः नम्बर लिये जाने के लिये पेश किया है।

प्रार्थी का कथन है कि अपील हाजा की पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से निगरानी सं0 183/06 मु. पांची बना बाबू लाल प्रभावहीन होने से निर्णय दिनांक 11.01.2012 को खारिज की गयी थी। उक्त अपील को मैरिट पर निर्णय के लिये इस न्यायालय को भेजा गया था। जिसके लिये न्यायालय ने प्रार्थी को कोई सम्मन उपस्थिति होने के लिये जारी नही किये गये। इस कारण प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। प्रार्थी जानबूझकर अनुपस्थित नही रहे हैं। प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को दिनांक 15.06.18 को अप्रार्थी के नाम खातेदारी कराने की जानकारी हुई, तब जमाबन्दी की नकल लेकर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी है। तब उक्त आदेश दिनांक 15.03.18 की नकल लेकर यह प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के पेश किया था। प्रार्थी का तर्क है कि अभिभाषक की अनुपस्थिति में खारिज अपील में पक्षकार को दोषी नही माना जा सकता है। क्योंकि पक्षकार की जानकारी में नही था कि उसकी अपील खारिज हो चुकी है। अपने पक्ष के समर्थन में 1994 आरआरडी 680 उच्च न्यायालय पेश की जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वकील की गलती से पक्षकार को दोषी नही माना जा सकता है। प्रार्थी अपने प्रकरण को मैरिट पर तय कराना चाहता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी प्रार्थी का सुनवाई का अवसर देकर अपील की मैरिट पर निर्णय किया जाना चाहिये। ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को नम्बर पर लेकर मैरिट पर सुनवाई कर निर्णय किया जावे।

विद्धान वकील अप्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी की अपील दिनांक 15.03.18 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गयी थी। अपील को पुनः नम्बर पर लेने के लिये प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। परन्तु उस प्रार्थना पत्र में समुचित कारण अंकित नही किये है। देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नही दिया गया है। अपने पक्ष के समर्थन में 1980 आरआरडी 536, 1981 आरआरडी 185 पैरा 9 पेश की। प्रार्थी के वकील हर तारीख पर उपस्थित रहे हैं। उसके बाद अनुपस्थित हुऐ हैं। जैसाकि न्यायालय की आदेशिका से जाहिर है। इसलिये यह नही माना जा सकता कि प्रार्थी को राजस्व मण्डल से प्रकरण के लौटने की जानकारी नही थी। न्यायालय की आदेशिका को सत्य मानने की अवधारण है। अपने पक्ष के समर्थन में 1993 आरआरडी 725 पेश की। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि वकील ने तारीख के बारे में नही बताया। पक्षकार को स्वंय वकील के सम्पर्क में रहकर अपने प्रकरण की जानकारी रखनी चाहिये थी। यदि वकील ने नही बताया तो प्रार्थी को वकील का शपथ पत्र पेश करना चाहिये था। अपने पक्ष के समर्थन में 2008 (2) आरआरटी 1408 पैरा–9 एवं 1989 आरआरडी 492 पेश की। प्रार्थी का यह कहना कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भी 18.06.18 को पेश किया है, जो मियाद बाहर है। प्रार्थी ने कैसे जानकारी हुई इस संबंध में कोई तथ्य पत्रावली पर पेश नही किया है। प्रार्थी को पूर्व से ही इस आदेश की जानकारी थी। प्रार्थी जानबूझ कर मुकदमे को लम्बा करते रहे तथा 15 तारीख पेशियों पर वकील उभयपक्ष उपस्थित रहे हैं। इसलिये यह नही माना जा सकता कि अपीलान्ट या उसके अधिवक्ता को अपील की जानकारी नही थी। प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया गया है, जो मियाद बाहर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील सख्या 320/05 धारा 75 भू राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में विचाराधीन थी। उक्त अपील पत्रावली, इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.12.05 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश होने पर आदेशिका दिनांक 10.02.09 से पैडिंग रखी गयी थी। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11.01.2012 से निगरानी प्रभावहीन होने से खारिज हो गयी। उसके बाद अपील को पुनः न्यायालय की सुनवाई में रखा गया किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अपीलान्ट को अपील की सुनवाई के लिये कोई नोटिस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जारी नही किये गये। न ही प्रार्थी के पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर है जबकि रैस्पो0 अप्रार्थी के दिनांक 23.09.2016 को हस्ताक्षर है। यानी प्रार्थी को प्रोपर सूचना नही दी गयी। हम रैस्पो0 का यह कथन को भी माने कि उसके अभिभाषक उपस्थिति थे और उस दिन उपस्थित नही आये। इसलिये अपील खारिज हो गयी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्त 1994 आरआरडी 680 इस प्रकरण पर लागू होता है। जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वकील की लापरवाही से पक्षकार को दणिडत नही किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिये ताकि उन्हें न्याय मिल सके। ऐसी स्थिति में उक्त अपील को मैरिट पर सुनवाई के लिये प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 65 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील संख्या 320/05 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official